28. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मृतक आश्रित लाभ दिया जाना

संख्या 2649/नौ–4–03–85ज/2002

प्रेषक,

[illegible]

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

नगर विकास अनुभाग 4

सेवा मे,

निदेशक,

स्थानीय निकाय उ0 प्र0, लखनऊ।

लखनऊ, दिनाक : 30 अप्रैल, 2003

विषय –सेवाकाल में मृत स्थानीय निकायो के कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 40एम0एल0ए0/नौ–1–98–10 नियुक्ति/97, दिनांक 28 अगस्त, 1998 में सेवाकाल में मृत स्थानीय निकाय के कर्मचारियो के आश्रितो को सेवा मे लिए जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि इन्हें उस स्थानीय निकाय में जहॉ पर संबंधित कर्मी की मृत्यु हुई है अथवा संबंधित कर्मी के गृह जनपद के किसी स्थानीय निकाय में नियुक्ति दी जा सकती है। कई प्रकरण ऐसे सामने आते है जहाँ संबंधित व्यक्ति का परिवार अपने गृह जनपद से भिन्न किसी जनपद में स्थायी रूप से निवास कर रहा होता है और संबंधित व्यक्ति की पत्नी अथवा पुत्री के द्वारा मृतक आश्रितों के रूप में यदि अपना परिवार चलाने के लिए नियुक्ति ली जानी आवश्यक हो जाती है तो उसे मृतक के गृह जनपद और नियुक्ति स्थान दोनों पर ही कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2. शासन के सम्मुख कतिपय दृष्टान्तों के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट हुई कि मृतक की नियुक्ति के स्थान से भिन्न स्थान पर नियुक्ति दिये जाने की व्यवस्था करने से लगातार इस बात की संभावना बनी रहती है कि उसी मृतक आश्रित के नाम से एक से अधिक लोग विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति पा जायें, क्योकि अंतिम नियुक्ति स्थान में इन अन्य स्थानों पर हुई नियुक्तियो का समुचित रिकार्ड बनाये रखना कठिन है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति उसी नगर स्थानीय निकाय मे दी जायेगी जहाँ पर कर्मचारी मृत्यु से पूर्व कार्यरत था परन्तु पुरुष आश्रित के द्वारा नियुक्ति मांगे जाने पर उसकी नियुक्ति संबंधित स्थानीय निकाय (जहाँ पर मृतक कार्यरत था) के द्वारा किये जाने के बाद यदि पुरुष आश्रित द्वारा अपना स्थानान्तरण गृह जनपद मे चाहे तो उसका स्थानान्तरण, नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् निदेशक, स्थानीय निकाय के स्तर से ही गृह जनपद की किसी स्थानीय निकाय में कर दिया जायेगा और यदि मृतक आश्रित के रूप मे महिला आश्रित (यथा पत्नी अथवा पुत्री) द्वारा नौकरी चाही गयी है तो संबंधित स्थानीय निकाय, जहाँ मृतक आश्रित कार्यरत था, द्वारा उसकी नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के अनुरूप दे दी जाये और तदपश्चात् निदेशक, स्थानीय निकाय के स्तर से ही महिला आश्रित के अनुरोध किये जाने पर उसके अनुरोध के अनुरूप जनपद की किसी स्थानीय निकाय में तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। पुरुष व महिला आश्रित दोनो के ही प्रकरणो मे संबंधित स्थानीय निकाय मे, जहॉ स्थानान्तरण किया जा रहा है, पद रिक्त न होने पर भी स्थानान्तरण कर दिया जायेगा जिसे भविष्य में होने वाली रिक्तियो के विपरीत समायोजित कर लिया जायेगा।

3. कई प्रकरणों में मृतक नगर स्थानीय निकाय से भिन्न विकास प्राधिकरणों सूडा अथवा अन्य शासकीय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर होता है जिनके द्वारा मृतक आश्रित के रूप में इस आधार पर नियुक्ति किये जाने पर मना कर दिया जाता है कि संबंधित कर्मी उनका स्थायी कर्मचारी नहीं था। ऐसे प्रकरणों में उस जिले के मुख्यालय स्थित स्थानीय निकाय द्वारा मृतक आश्रित के रूप मे नियुक्ति दी जायेगी जिसमें संबंधित कर्मी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत था। तत्पश्चात् उपरोक्त पैरा–2 के अनुरूप निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा स्थानान्तरण किया जायेगा।

4. इस प्रकार निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा किये गये समस्त स्थानान्तरण आदेशो में संबंधित मृतक आश्रित के मूल नियुक्ति पत्र की संख्या, दिनांक व नियुक्ति करने वाले स्थानीय निकाय का नाम होने के साथ–साथ इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होगा कि उक्त स्थानान्तरण इस शासनादेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु, उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28–8–1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

राकेश गर्ग

सचिव।

❑❑❑

Scanned by CamScanner

22 | मृतक आश्रितों की भर्ती नियमावली (पांचवा संशोधन)

संख्या 6/12/73-का-2/1999

कार्मिक अनुभाग-2

दिनांक 20 जनवरी, 1999

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1999

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवा संशोधन) नियमावली 1999 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 5 का संशोधन-उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है यदि ऐसा व्यक्ति-	5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति-
(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और	(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है।	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है।
परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियमित समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

सुधीर कुमार
सचिव।

Scanned by CamScanner

216. मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–6/12/73/कार्मिक–2/2006
लखनऊ दिनाँक, 28 जुलाई, 2005
अधिसूचना/ प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल मे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-नियम-5 का प्रतिस्थापन–उत्तर प्रदेश सेवाकाल मे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली , 1974 में नीचे स्तम्भ–1– में दिये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-1 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5- मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के किसी सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति: –(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,	मृतक के 5- कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:– (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनाँक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को,जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासंभव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनाँक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के समर्थन में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासंभव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से,
उमेश सिन्हा, अपर मुख्य

Scanned by CamScanner